

विशेष अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार :
जल या अन्यथा के लिए राज्य वन
विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट
सिफारिशें। (राय देते समय,
सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी
को सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और
संबन्धनात्मक टिप्पणी दी जाय)

Recommended for
approval.

हस्ताक्षर :

नाम : वाई०एस०के० शेषकुमार
मोहर : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ ।

दिनांक : 14.4.2017

.....